राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.3(212)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांकः 11 MAY 2020

आदेश

भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 90–क एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 26 में पट्टा–विलेख जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष के भीतर भवन का सनिर्माण करने एवं अतिरिक्त अवधि विस्तार का प्रावधान है।

इसी प्रकार आदेश क्रमांक प.3(212) नविवि/3/2011 दिनांक 13.09.2011 व 01.02.2013 द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ख के अन्तर्गत पट्टा जारी होने की दिनांक से 10 वर्ष की समयावधि में भवन निर्माण नहीं किये जाने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावे व 10 वर्ष की समयावधि के पश्चात् भूखण्डधारी से संबंधित जोन की सामान्य आवासीय नियमन/आवंटन दर की 4 गुना राशि को आरक्षित दर माना जाकर उक्त आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष शास्ती के रूप में वसूल की जाकर भूखण्ड को नियमन किया जाने का प्रावधान है।

विभागीय आदेश क्रमांक प.1(63) नविवि/जयपुर/2016 दिनांक 24.08.2016 से अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि की लीज डीड निष्पादित होने की दिनांक से 10 वर्ष की अवधि में निर्माण करना आवश्यक है। 10 वर्ष पश्चात् प्रतिवर्ष आरक्षित दर का 1 प्रतिशत राशि पुनर्गहण शुल्क लेते हुए न्यास/प्राधिकरण द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी किये जाने का प्रावधान है।

कोविड–19 के मद्देनजर सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क व 90–ख के अन्तर्गत व अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूखण्डों की लीज–डीड जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष व 10 वर्ष की अवधि अथवा अवधि विस्तार दिनांक31.12.2019 तक समाप्तहो रहा है। उनमें शास्ती की गणना दिनांक 31.12.2019 तक ही करते हुए निर्माण अवधि विस्तार दिनांक 31.12.2020 तक किया जावे।

भवन निर्माण स्वीकृति, पट्टा–विलेख/लीज डीड जारी करना, नाम हस्तानान्तरण, उपविभाजन/पुनर्गठन, भू–उपयोग परिवर्तन आदि हेतु जारी किये गये मांग पत्र के अनुसार राशि जमा कराने की समय सीमा दिनांक 15.03.2020 एवं इसके पश्चात् है, उनमें राशि जमा कराने की अवधि 30.06.2020 किये जाने की छूट प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner